न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3848–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 103/अपील/2011–12

.....

श्रीमती सरिता चौबे,
पत्नि श्री राकेश कुमार चौबे,
निवासी मकान नम्बर 154/2–ए,
साकेत नगर भोपाल

..... आवेदिका

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नम्बर 28 तहसील हुजूर द्वारा दिनांक 20–9–2010 को तहसीलदार हुजूर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गेहूँखेड़ा स्थित भूमि खसरा कमांक 234 व 237 रकबा

कमशः 0.07, 0.10 हेक्टेयर कुल रकबा 0.17 हेक्टेयर अमित त्रिपाठी तथा खसरा नम्बर 221, 546/237, 547/220 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 0.07 हेक्टेयर, 0.10 हेक्टेयर कुल रकबा 0.22 हेक्टेयर कलीबाई पुत्री आशाराम के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है । अर्बन सीलिंग के भौतिक सत्यापन में सूची के सरल कमांक 18 पर प्रकरण कमांक 3/1990–91 में खसरा कमांक 41/1 रकबा 1.00 एकड़ (0.40 हेक्टेयर) भूमि अर्बन सीलिंग में अतिशेष घोषित की गई थी । री–नम्बरिंग सूची अनुसार खसरा नम्बर 41/1 के नये खसरा कमांक 221, 234, 237, 546/237, 547/220 बने हैं । पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 154/अ–6–अ/2009–10 संस्थित कर सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा भोपाल का मूल अभिलेख प्राप्त कर जॉच उपरांत पाया गया कि वर्ष 1999–2000 में खसरा के कॉलम नम्बर 12 में खसरा कमांक 41/1 रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि म0प्र0 शासन अर्बन सीलिंग में घोषित की गई थी जो त्रुटिवश कृषक के नाम दर्ज हुई । अतः दिनांक 28–9–10 के द्वारा बंदोबस्त के नये खसरा कमांक 221, 234, 237, 546/237, 547/220 रकबा 0.39 हेक्टेयर म0प्र0शासन के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 47 का आवेदन के साथ प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–1–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 28–9–2015 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की भूमि को नगर भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत अतिशेष घोषित भूमि मानते हुये कृषक का नाम त्रुटिवश दर्ज होना दर्शाते हुये भूमि को अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दिया

तथा आवेदिका को कोई सूचना पत्र तामील नहीं कराया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया । यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आधार पर आदेश पारित किया गया है उससे प्रतीत होता है उन्होंने आवेदिका की भूमि को शासकीय भूमि दर्ज करने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है क्योंकि इस संबध में कोई जॉच नहीं की गई है, उनके द्वारा पारित आदेश न तो विधिक आदेश था और न ही बोलते हुये आदेश की परिधि में आता है । आवेदिका द्वारा जो भूमि क्रय की गई थी वह दिनांक 29–4–1991 को पारित धारा 8 के आदेश के तहत रिक्त नगरीय भूमि से परे होकर सीलिंग से मुक्त हो गई थी, किन्तु इस विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दु से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी के आधारहीन प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामान्तरण हो जाने के बाद उसको शासकीय घोषित कर आवेदिका का नाम काट दिया गया है, परन्तु नाम काटने का समुचित्र कारण नहीं बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपील का निराकरण करते समय नगर भूमि सीमा के प्रकरण का अवलोकन नहीं कर एवं अर्बन सीलिंग भौतिक सत्यापन की सूची के आधार पर प्रेषित हल्का पटवारी के प्रतिवेदन को सही मानते हुये अपील निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में ही अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत शासन में बैष्ठित हो चुकी है और त्रुटिवश उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज हो गया है, अतः तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश शासन में दर्ज किये जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के

आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर